राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1090/2025

ओमवती **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासनिक) एवं पंचायत राज (चिकित्सा) विभाग, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिलानी, जिला झुंझुंनू।
5. शिला कुमारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागावास, ब्लॉक पटोदी, जिला बालोतरा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.01.2025
आदेश की दिनांक : 17.02.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप गरसा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, केवियटर

समक्ष :– चेतन राम देवडा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4'ए' के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान कर हस्तगत अपील में संशोधन कर संशोधित अपील प्रस्तुत की गई जिसे स्वीकार कर रिकॉर्ड पर लिया गया एवं सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में ए.एन.एम. के पद पर उप केन्द्र धिंधवा अगुना, पिलानी, जिला झुंझुनू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से प्राथमिकक स्वास्थ्य केन्द्र बागावास, ब्लॉक पटोदी, जिला बालोतरा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को संमजित करने के उद्देश्य से 550 कि.मी. दूर किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.01.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलार्थी का नाम आलोच्य आदेश में गलत दर्शाया गया है। अपीलार्थी का

नाम ओमवती है, जबकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण ओमपति दर्शाते हुए किया गया है, जो विधिसम्मत नहीं है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण नियम–2011 के नियम 8 (iii) का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत राज विभाग से अनुमति लिए बिना ही जिले से बाहर कर दिया गया है, जो अनुचित एवं विधि–विरूद्ध है। अपीलार्थी वर्ष 2006 से कैंसर की बीमारी से पिड़ित है, राजस्थान के विभिन्न अस्पतालों, एस.एम.एस., रूंगटा, जयपुर, आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर उपचार एवं अनुसंधान केन्द्र बीकानेर, जिंदल अस्पताल, हिसार, आधार स्वास्थ्य संस्थान, हिसार से नियमित उपचार ले रहा है (अनुलग्नक–6)। माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 413 / 2025 डॉ. अनीता चौधरी बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 30.01.2025 (अनुलग्नक–5) का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 21.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान ए.एन.एम. के पद पर उप केन्द्र धिंधवा अगुना, पिलानी, जिला झुंझुनू में निरन्तर कार्य करने दिया जावें।

3. हमनें अपीलार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायाहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 2 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किये जाने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावें जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य